# वार्षिक प्रतिवेदन
# वर्ष 2020-21

दिव्यांग व्यक्तियों का संगठन

## आदर्श विकलांग सेवा संघ

मुख्यालय- आदर्श वार्ड वार्ड क्र. 40, वैढ़न जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश
ई–मेलः–viklangseva@gmail.com
Contact no. 09424348178

# अध्यक्ष की कलम से

पुनः आदर्श विकलांग सेवा संघ की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के साथ सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, अविभावकों, समाजसेवियों, अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से स्वागत है। वर्ष 2020-21 में संगठन ने सभी के सहयोग से कई उल्लेखनीय कार्य किए जिसका विवरण प्रतिवेदन में विस्तार से किया गया है।

जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों का कल्याण जिसमे शिक्षा, पुनर्वास, अधिकार इत्यादि सभी क्षेत्रों पर कार्य करना है। इन सभी उद्देश्यों के साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के किए जिले में पदेन अपर आयुक्त (दिव्यांगता) जिला कलेक्टर श्री के वी एस चौधरी कोलसानी IAS एवं श्री राजीव रंजन मीणा IAS तथा श्री रवि मालवीय डिप्टी कलेक्टर एवं श्री अनुराग मोदी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला सिंगरौली का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने कोविड के संकट काल में दिव्यांगजनों से संबन्धित समस्याओं/आवश्यकताओं की जानकारी देने पर त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुये समस्याओं का निदान किया गया। फिर भी अभी भी कई कार्य है करने है जिसमे जिला प्रशासन से लेकर राज्य व केंद्र सरकार का सकारात्मक रवैया हमे अच्छे रोजगार व स्वरोजगार द्वारा जीवन को सफल बनाया जा सकेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शासन द्वारा कई योजनाएँ संचालित है परंतु अभी भी समाज के कई लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने से दिव्यांगजन का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 की महामारी ने समाज में सबसे अधिक दिव्यांगजनों को प्रभावित किया है। सभी दिव्यांगजनों को कोरोना से सुरक्षित रहना है जितना हो सकेगा शासन-प्रशासन के सहयोग से सेवाएँ उपलब्ध कराई जावेगी।

इन्ही शुभकामनाओं के साथ !

आपका

शैलेश कुमार मिश्र

# सचिव की रिपोर्ट

मैं आदर्श विकलांग सेवा संघ में सभी समाजसेवियों, संघ के सदस्यों, अधिकारियों, सहयोगियों का स्वागत करता हूं।

वर्ष 2020-21 कोविड संकटकाल रहा है जिसने पूरे विश्व के साथ-साथ दिव्यांगजनों को भी प्रभावित किया है।

वर्तमान में दिव्यांग जनों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार की आवश्यकता है। वर्तमान में समावेशी भारत अभियान के तहत समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार पर कार्य चल रहा है इसी प्रकार से सुगम्य भारत अभियान के तहत संपूर्ण भारत को दिव्यांग जनों हेतु सुगम्य बनाया जा रहा है।

अतः अब समय आ गया है नए रास्तों पर चले, नई प्रक्षेपण पथ चुनें और ऊंचे आकाश में उड़े क्योंकि भविष्य हमारा है और हम विश्वास के साथ अपने सपनों की दुनिया में चले तथा जिस जीवन की कल्पना की थी उसमें जिएं।

अपने लक्ष्य को बिना किसी की अपेक्षा किए प्राप्त करें।

जितेंद्र कुमार गुप्ता
सचिव

एक ही लौ से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं फिर भी दीपक का जीवन छोटा नहीं होगा खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती हैं।

"महात्मा बुद्ध"

# विषय-सूची


| क्रम संख्या | विषय | पृ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | संघ के उद्देश्य | 5 |
| 2 | पदाधिकारियों की सूची | 6 |
| 3 | वर्तमान गतिविधियाँ | 7&8 |
| 4 | वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां एवं फोटोग्राफ | 9-19 |
| 5 | शासन द्वारा संचालित योजनाएं | 20 |
| 6 | राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं | 21 |
| 7 | उपलब्धियां | 22 |
| 8 | शिक्षा एवं पुनर्वास | 23 |
| 9 | संघ के प्रयास एवं पहल | 24 |
| 10 | सारांश | 24 |

## 1. संघ के उद्देश्य

संगठन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों का समग्र विकास कर जीवन को उन्नत बनाना है जिससे दिव्यांगजन जो अलग-थलग जीवन व्यतीत कर रहे है समाज में सम्मान के साथ जीवन का आनंद लें सकें । संगठन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को संगठित करना भी है जिससे दिव्यांगजन निडर होकर अपनी समस्याओं से संगठन को अवगत करा सकें । सभी परिसरों को बाधारहित बनाना है जिससे कार्यालय के साथ साथ-सार्वजनिक स्थान थाना, न्यायालय, स्कूल, शापिंग माल, दुकान, फूटपाथ, बस, थियेटर, इत्यादि सभी कुछ बाधारहित हो जिससे दिव्यांगजन किसी व्यक्ति के सहयोग के बिना भी अपने कार्य समुचित रूप से कर सकें ।

# 2. पदाधिकारियों की सूची

| क्रमांक | नाम, पिता/पति का नाम | धारित पद | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | शैलेश कुमार मिश्र /श्री संतोष कुमार मिश्र | अध्यक्ष | टीटीएस 1 -145 एनटीपीसी विंध्यनगर, जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 2 | कल्याण सिंह / स्व रंधौर सिंह | उपाध्यक्ष | एनएच 3-बी-274, एनटीपीसी विंध्यनगर, जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 3 | अनिल कुमार /स्व. मनीराम | उपाध्यक्ष | वार्ड-9 आदर्श गंगा स्कूल के पास मेढ़ौली जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 4 | संतोष कुमार मिश्रा / श्री चिंतामणि मिश्रा | उपाध्यक्ष | गोभा वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 5 | जितेंद्र कुमार गुप्ता /श्री भाईलाल गुप्ता | सचिव | मेन रोड विलौंजी जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 6 | अरुण कुमार / स्व. गौरीशंकर | संयुक्त सचिव | वार्ड-2 मेढ़ौली जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 7 | अरविंद कुमार शाह / श्री मोतीलाल शाह | कोषाध्यक्ष | वार्ड-42 विलौंजी जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 8 | अर्मिला शाह /श्री आनन्द लाल शाह | सदस्य | ग्राम बनौली वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 9 | नगेंद्र कुमार शाह / श्री अंजनी कुमार शाह | सदस्य | कचनी चंद्रमाँ टोला जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 10 | अखिलेश पासवान / स्व. कामेश्वर पासवान | सदस्य | तेलगवा शाहपुर वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 11 | महेंद्र कुमार शाह / श्री परसोत्तम शाह | सदस्य | ग्राम झाँझी टोला तियरा वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 12 | रमेश कुमार शाह / श्री अमयलाल शाह | सदस्य | सुहिरा कर्सुआलाल वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 13 | शिव प्रसाद बसोर / श्री रामसरन बसोर | सदस्य | बाघाडीह ओड़गड़ी देवसर जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 14 | रामकुमार गुप्ता / श्री केशरीलाल गुप्ता | सदस्य | वार्ड 40 मेनरोड ताली वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |
| 15 | सीताराम वैश्य / श्री जगनारायण वैश्य | सदस्य | ग्राम खटखरिया वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र. |

# 3. वर्तमान गतिविधियां

1- निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन राशि दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

2- लोक सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रोत्साहित करना साथ ही शासन द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से भी अवगत करना।

3- मानसिक एवं बहु विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को लीगल गार्जियन शिप प्रदान करने हेतु जागरूकता।

4- स्पेशल ओलंपिक भारत मध्यप्रदेश मे एथलीट का चयन।

5- दिव्यांगजनो के खेल प्रोत्साहन हेतु कोच का चयन व प्रशिक्षण।

6- दिव्यांगजनो की सहायता के लिए आम जनता को प्रेरित करना।

7- राष्ट्रीय न्यास के सहयोग से मानसिक दिव्यांगजनों के विकास हेतु सेंटर की स्थापना किया गया।

8- भारत सरकार के गाइड लाइन के अनुसार विशेष विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

9- वर्तमान मे सिंगरौली,अनुपपुर,शहडोल,उमरिया सहित अन्य जिलों मे भी लोकल लेवल कमेटी के गठन व अच्छी तरह से कार्य करने हेतु कलेक्टर से मिलकर प्रयास जारी है।

10-शासन प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु आयोजित सेमिनार/कार्यक्रमों मे संस्था के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहती है।

11-दिव्यांगजनों से संबन्धित समितियों की बैठक मे संस्था के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहती है।

12-प्रति वर्ष 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों हेतु बैठक मे संस्था के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहती है।

13-कई दिव्यांग छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृति कराने मे सहयोग किया गया।

14-संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A से पंजीकृत होकर 80G के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया, जिससे संस्था को सहयोग प्रदान करने वाले दानदाता को आयकर मे छूट प्राप्त हो सके।

15-दिव्यांगजनों को मध्यप्रदेश के निजी बसों मे 50% किराए मे छूट हेतु आरटीओ से समन्वय कर लागू करने हेतु प्रयासरत।

16-लोक सेवा केंद्र मे आवेदन कर कई दिव्यांगजनों को पेंशन व MR सहायता उपलब्ध करने मे सहायता की गई साथ ही लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर को तकनीकी जानकारी व सहयोग प्रदान किया गया इसके पूर्व लोक सेवा केंद्र से पेंशन व MR सहायता के आवेदन लोक सेवा केंद्र मे नहीं लिए गए थे।

17-निजी क्षेत्र मे रोजगार हेतु प्रयासरत।

18-दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार हेतु प्रशासन के सहयोग से विशेष भर्ती अभियान चलाकर भर्ती हेतु प्रयासरत।

19-दिव्यांग मतदाता जागरूकता मे सेक्टर बनाकर दल के साथ पूरे जिले मे भ्रमण कर दिव्यांगजनों को जागरूक किया गया।

## 4. वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां एवं फोटोग्राफ्स

1. कोविड-19 के महामारी के दौरान वर्षभर संस्था में पंजीकृत दिव्यांगजन को राष्ट्रीय न्यास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से राशन उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया गया
2. शासन प्रशासन के मार्गदर्शन में नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के निगाही प्रोजेक्ट के सहयोग से राशन किट का वितरण किया गया जिसमें किराना का सामान, सब्जियां, मसाले इत्यादि वितरण किया गया
3. 03 जून 2020 में मध्य प्रदेश स्टेट लेवल NGO Online Meeting में राष्ट्रीय न्यास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयोजित RO मीटिंग में शामिल हुए जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री प्रतीक हजेला, राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड मेंबर श्री अभय दुबे, राष्ट्रीय न्यास के प्रोग्राम डायरेक्टर श्री यू के शुक्ला, श्री नवनीत कुमार, मध्य प्रदेश राज्य से श्री पंकज मारू जी उपस्थित रहे जिसमें लीगल गार्जियन, निरामय बीमा रेलवे स्मार्ट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई
4. अन्य सामाजिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया गया और कठिनाइयों को दूर किया गया 80G, 12A ऑनलाइन करने में उनकी मदद की गई
5. कलेक्टर सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर से समन्वय कर लोकल लेवल कमेटी के सदस्य के रूप में पत्र प्राप्त किया गया
6. संगठन को मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करने हेतु विभागीय मान्यता प्रदान की गई
7. अभिभावक संघ बनाने हेतु जागरूक किया गया
8. GST छूट लागू करने हेतु डीलर व हितग्राहियों को जागरूक किया गया
9. दिव्यांग व्यक्तियों के भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान हेतु लगातार प्रयास किए गए प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, कमिश्नर रीवा, शहडोल, कलेक्टर सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया इत्यादि को लगातार मेल किए गए

10. दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु प्रशासन से संपर्क कर निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रयास किए गए

11. दिव्यांगजनों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया छात्रों से संपर्क कर विशेष शिक्षा में स्कोप के बारे में समझाइश दी गई

12. सिंगरौली जिले के नवागत कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा आईएएस से मुलाकात कर जिला स्तरीय दिव्यांग समिति की बैठक आज कराने हेतु प्रयास किया गया जिसमें दिव्यांगजनों की समस्या, आवश्यकता, रोजगार सुविधाएं, स्वास्थ संबंधी आवश्यकता होने पर संपर्क हेतु व्यवस्था पर चर्चा की गई

13. कोविड-19 के महामारी में फोन द्वारा दिव्यांगजनों को जागरूक किया गया

*राशन किट के साथ संस्था के अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार मिश्र द्वारा वाहन को रवाना किया गया।*

# दिव्यांगजनों को डोर टू डोर राशन का वितरण

सौजन्य भेंट

सामाजिक न्याय के अधिकारी जिन्होंने हमें कोरोनावायरस में बहुत सपोर्ट किया

लॉकडाउन अवधि में घर घर जाकर शिक्षा व एक्सरसाइज जारी रखी गई फोटोग्राफ्स

संस्था में पंजीकृत आवश्यकता वाले हितग्राहियों को राशन का वितरण किया गया

राष्ट्रीय न्यास के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान सिकंदराबाद से मानसिक दिव्यांग बच्चों को किट प्रदान की गई जिसका वितरण आदर्श विकलांग सेवा संघ के बैनर तले किया गया।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 50 का प्रमाण पत्र

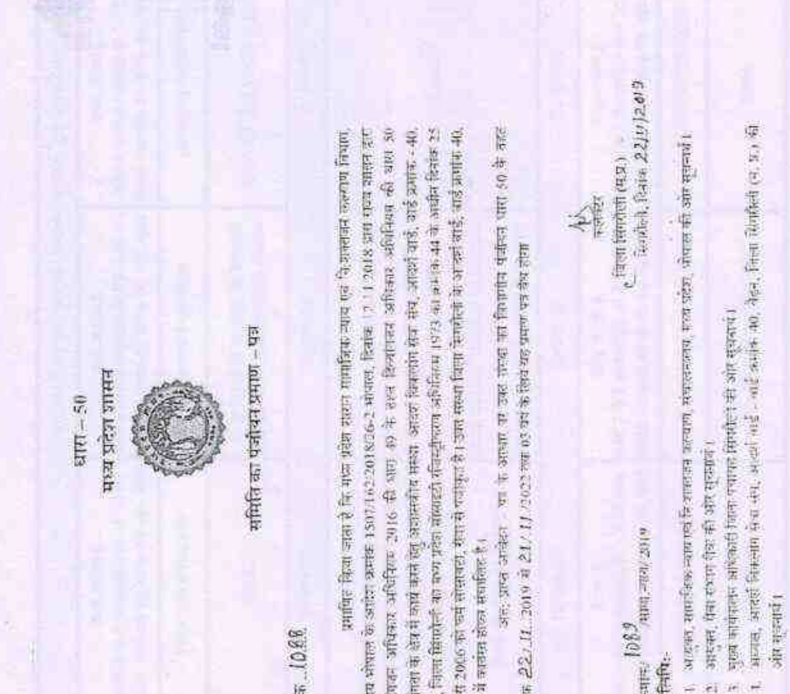

# संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक 2306/05
दिनांक 25/1/06

प्रपत्र क्रमांक 2

मध्यप्रदेश शासन

## समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक जी.सी. 6498

सूचित किया जाता है कि ...

जिला जीधी ... मध्यप्रदेश

के अधीन 25/1/06 को पंजीयन की गई है।

दिनांक पच्चीस माह जनवरी सन 2006

समितियों के रजिस्ट्रार
(अजय खरे)
सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा संभाग रीवा

# THE NATIONAL TRUST

For the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Govt. of India)
16B, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060.
Phone 011- 43187878 Email: contactus@thenationaltrust.in
Website: www.thenationaltrust.gov.in

## Local Level Committee Constitution Order

### Order No: NT/LLC/Madhya Pradesh/Singrauli/19(314)

*A Local Level Committee u/s 13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 consisting of following as member, is constituted in* **State of Madhya Pradesh**

***Chairperson***
*District Collector, Singrauli, Madhya Pradesh*

***NGO Member (Registered with The National Trust)***
*ADARSH VIKLANG SEVA SANGH,0-WAIDHAN,Ward 40 adarsh ward, District-, PIN-486886 (Madhya Pradesh) NT Expiry Date-02/20/2022*

***Person with disability Member***
*SHAILESH KUMAR MISHRA, TTS 1-145 NTPC VINDHYANAGAR DISTT SINGRAULI MP, Singrauli District, Madhya Pradesh.*

The following three persons should be included by the LLC as its non-statutory co-opted member for its effective functioning:

- **District Social Welfare officer/District Disabled Welfare Officer** - The DSWO will ensure convening of LLC meeting regularly, smooth functioning of LLC, **maintenance of records in the custody of District Magistrate.**

- **Civil Surgeon** - The Civil Surgeon will ensure the credibility of the issuance of guardianship certificate in respect of a person with disability, he/she requires a guardian or not.

- **Senior Lawyer** - The Lawyer will ensure bona-fide of the applicant on documentary evidence.

The Local Level Committee shall implement the relevant provisions of The National Trust Act & Rules, Regulations made there under.

Date : From 07/06/2019 To 06/06/2022
Place: New Delhi

(U. K. Shukla)
Assistant Legal Advisor

# THE NATIONAL TRUST

For the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Govt. of India)
16B, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060,
Phone 011- 43187878 Email: contactus@thenationaltrust.in
Website: www.thenationaltrust.gov.in

## Local Level Committee Constitution Order

### *Order No: NT/LLC/Madhya Pradesh/Anuppur/19(270)*

*A Local Level Committee u/s 13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 consisting of following as member, is constituted in* ***State of Madhya Pradesh***.

***Chairperson***
*District Collector, Anuppur, Madhya Pradesh*

***NGO Member (Registered with The National Trust)***
*ADARSH VIKLANG SEVA SANGH,0-WAIDHAN,Ward 40 adarsh ward, District-Singrauli, PIN-486886 (Madhya Pradesh) NT Expiry Date-02/20/2022*

***Person with disability Member***
*MANOJ KUMAR MISHRA, Ward no 7, Sioni Dhangawa Jaithari Anuppur MP, Anuppur District, Madhya Pradesh.*

The following three persons should be included by the LLC as its non-statutory co-opted member for its effective functioning:

• **District Social Welfare officer/District Disabled Welfare Officer** - The DSWO will ensure convening of LLC meeting regularly, smooth functioning of LLC, **maintenance of records in the custody of District Magistrate.**

• **Civil Surgeon** - The Civil Surgeon will ensure the credibility of the issuance of guardianship certificate in respect of a person with disability, he/she requires a guardian or not.

• **Senior Lawyer** - The Lawyer will ensure bona-fide of the applicant on documentary evidence.

The Local Level Committee shall implement the relevant provisions of The National Trust Act & Rules, Regulations made there under.

Date : From 07/06/2019 To 06/06/2022
Place: New Delhi

(U. K. Shukla)
Assistant Legal Advisor

# THE NATIONAL TRUST

For the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Govt. of India)
16B, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060,
Phone 011- 43187878 Email: contactus@thenationaltrust.in
Website: www.thenationaltrust.gov.in

## *Local Level Committee Constitution Order*

***Order No: NT/LLC/Madhya Pradesh/Umaria/19(317)***

*A Local Level Committee u/s 13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 consisting of following as member, is constituted in* **State of Madhya Pradesh**.

***Chairperson***
*District Collector, Umaria, Madhya Pradesh*

***NGO Member (Registered with The National Trust)***
*ADARSH VIKLANG SEVA SANGH,0-WAIDHAN,Ward 40 adarsh ward, District-Singrauli, PIN-486886 (Madhya Pradesh) NT Expiry Date-02/20/2022*

***Person with disability Member***
*Sohan Lal Charmkar, Sohan Lal Charmkar So Shobha Ram Charmkar, H. No. 184 1 Ward No. 12 Vikatganj Bandhogarh Umaria MP, Umaria District, Madhya Pradesh.*

The following three persons should be included by the LLC as its non-statutory co-opted member for its effective functioning:

- **District Social Welfare officer/District Disabled Welfare Officer** - The DSWO will ensure convening of LLC meeting regularly, smooth functioning of LLC, **maintenance of records in the custody of District Magistrate.**
- **Civil Surgeon** - The Civil Surgeon will ensure the credibility of the issuance of guardianship certificate in respect of a person with disability, he/she requires a guardian or not.
- **Senior Lawyer** - The Lawyer will ensure bona-fide of the applicant on documentary evidence.

The Local Level Committee shall implement the relevant provisions of The National Trust Act & Rules, Regulations made there under.

Date : From 07/06/2019 To 06/06/2022
Place: New Delhi

(U. K. Shukla)
Assistant Legal Advisor

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन)
E-mail : pujanu@mp.gov.in, Phone : 07659-222699
Official Website : www.socialjustice.mp.gov.in, www.samagra.gov.in

क्रमांक/नि.क./लो.ले.क./ 452,                                        अनूपपुर दिनांक 29/06/2020

## ::अनुशंसा पत्र::

संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/नि.क.-6/2017/940, भोपाल दिनांक 16.05.2017 के अनुक्रम में राष्ट्रीय न्यास अन्तर्गत जिला अनूपपुर में गठित लोकल लेवल कमेटी हेतु राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत संस्था आदर्श विकलांग सेवा संघ शिवधाम मन्दिर के पास बैढ़न जिला सिंगरौली एवं श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रयोगशाला सहायक शासकीय कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी को दिव्यांग सदस्य के रूप में राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एतद् द्वारा मनोनीत करने की अनुशंसा की जाती है।

कलेक्टर
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/नि.क./लो.ले.क./ 453,                                        अनूपपुर दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि-

1 संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार नई दिल्ली।

2 संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।

3 आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.)।

4 अध्यक्ष, आदर्श विकलांग सेवा संघ शिवधाम मन्दिर के पास बैढ़न जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5 श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रयोगशाला सहायक शासकीय कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

D:\Kritim Anga Upakaran\LLC.docx

# कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)
## जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक /588/ सा.न्या./लो.ले.क./2020 उमरिया, दिनांक 05-08-2020

### आदेश

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/वि.स.. 6/2019/2436/भोपाल, दिनांक 16.09.2019 से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुक्रम में स्वपरायणता प्रमस्तिक घात, मानसिक विकलांगता और बहुनिःशक्तता से ग्रस्त निःशक्तों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के आधिन स्थापित राष्ट्रीय अधिनियम 1999 की धारा 13(4) स्वपरायणता प्रमस्तिक घात, मानसिक विकलांगता और बहुनिःशक्तता से ग्रस्त निःशक्तों के संरक्षण पुनर्वास एवं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु जिले में एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 13(5) के तहत जिला स्तर पर गठित लोकल लेवल कमेटी में निम्नानुसार सदस्य/अध्यक्ष होंगे।

| क्रमांक | पदस्थ अधिकारी/संस्था का नाम | | समिति में नामांकित पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1. | कलेक्टर, जिला उमरिया | -- | अध्यक्ष |
| 2. | आदर्श विकलांग सेवा संघ, जिला सिंगरोली म0प्र0 (राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत संस्था) | -- | सदस्य |
| 3. | सोहन चौधरी, अध्यक्ष–दीन–हीन विकलांग संगठन | -- | सदस्य |
| 4. | सहयोगी सदस्य :– | | |
| | अ. उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला उमरिया | -- | सदस्य |
| | ब. जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, जिला उमरिया | -- | सदस्य |
| | स. धर्मेन्द्र त्रिपाठी, ऐडवोकेट जिला उमरिया | -- | सदस्य |

(संजीव श्रीवास्तव)
कलेक्टर
जिला उमरिया म0प्र0

पृ. क्रमांक /589/ सा.न्या./लो.ले.क./2020 उमरिया, दिनांक 05-08-2020

प्रतिलिपिः–

1. राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. राष्ट्रीय न्यास स्टेट नोडल एजेन्सी सेन्टर(एस.एन.ए.सी.) के समन्वयक श्री पंकज मारू, जेनिथ सोसल वेलफेयर समिति नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सर्व संबंधित जिला स्तरिय समिति आदर्श विकलांग सेवा संघ, जिला सिंगरोली म0प्र0 को सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित जिला स्तरीय समिति के सदस्य श्री सोहन चौधरी जिला उमरिया को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला उमरिया म0प्र0

## 5. शासन द्वारा संचालित योजनाएँ

1- दिव्यांग वाहन भत्ता

2- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

3.बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांगजनों के लिए सहायता अनुदान योजना

4.विशेष आकस्मिक अवकाश

5.दिव्यांगजनों को वृत्तिकर छूट योजना

6.Ded/Bed/Med में आरक्षण

7.विशेष भर्ती अभियान

8.दिव्यांगजनों को कार खरीदने पर GST में छूट

9. निरामया स्वास्थ्य बीमा बहुविकलांग/मानसिक दिव्यांगजनों के लिए

10. लीगल गार्जियनशिप बहुविकलांग/मानसिक दिव्यांगजनों के लिए

11. निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु योजना

12. मध्यप्रदेश के निजी बसों में किराए में 50% की छूट एवं 5 सीट आरक्षित

13. बाधारहित वातावरण

14. काक्लियर इंप्लांट श्रवण दोष से मुक्ति हेतु

15. लैपटाप/मोट्रेट ट्राइसिकिल योजना

16. नौकरी में आरक्षण

17. रेल किराए में छूट

18. आयकर में छूट

19. उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, निर्वाह भत्ता,परिवहन भत्ता इत्यादि

20. स्वरोजगार हेतु ऋण

## 6. राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएँ

- दिशा:बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना
- विकास (दिन मे देखभाल)
- समर्थ (राहतकारी देखभाल)
- घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)
- निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना
- सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)
- ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)
- प्रेरणा (विपणन सहायता)
- संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)
- बढ़ते कदम (जागरूकता,सामुदायिक सहभागिता एवं अभिनव परियोजना)

# 7. उपलब्धियां

1. संस्था के विशिष्ट कार्यों को देखते हुए संस्था के अध्यक्ष श्री शैलेश कुमार मिश्र को ओलंपिक भारत मध्य प्रदेश के एरिया डायरेक्टर श्री दीपांकर बनर्जी द्वारा सिंगरौली जिले का प्रभारी बनाया गया।

2. संस्था के विशेष कार्यों को देखते हुए वर्तमान में संस्था को अनूपपुर उमरिया शहडोल सिंगरौली जिले का लोकल लेवल कमेटी का सदस्य बनाया गया है जिससे मानसिक दिव्यांगजनों को लीगल गार्जियनशिप प्रदान किया जा सके।

3. वर्तमान में संस्था दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय दिव्यांग समिति सिंगरौली शहडोल अनूपपुर जिले की सदस्य हैं।

4. संस्था द्वारा निःशुल्क विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु अथक प्रयास किए हैं वर्तमान में दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्णतः निःशुल्क विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

5. दिव्यांगजनों से संबंधित किसी भी योजना में या किसी प्रकार की समस्या हो तो संगठन को याद कर निदान किया जाता है।

6. संस्था द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को जागरूक कर उनको रेलवे और बस में किराए में छूट प्रदान करने में सहयोग किया जाता है।

7. दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्यशाला में संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं वहां आवश्यक अनुशंसा करते हैं जिन की अनुशंसा पर शासन-प्रशासन योजनाएं तैयार करते हैं उसे दिव्यांगजन लाभ प्रदान कर रहे हैं।

# 8. शिक्षा एवं पुनर्वास

1. दिनेश कुमार साकेत को ITI बैढ़न में प्रवेश दिलाया गया जबकि प्राचार्य महोदय द्वारा दिव्यांगता के कारण प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया था।
2. सामान्य व्यक्ति श्री मिश्रीलाल विश्वकर्मा ग्राम ओखरावल अपने दोनों ऑखों की ज्योति खो जाने के कारण 10–12 वर्षो तक सेवा से अलग कर दिया गया जिसे संघ के सहयोग से पुनः ओखरावल के सचिव पद पर नियुक्ति दिलाई गई।
3. म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियो में दिव्यांगों के लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाये गए। संघ के अध्यक्ष श्री एस. के. मिश्र के द्वारा आपत्ति लगाने से वर्तमान में दिव्यांगों को पद आरक्षित कर भर्ती की जा रही है।
4. संघ के द्वारा शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके विवाह प्रोत्साहन छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग इत्यादि के लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को दिलाये जा रहे हैं यह सिर्फ सिंगरौली जिले तक सीमित नहीं है बल्कि म.प्र. के अन्य जिलों में भी लाभ दिलाये जा रहे हैं। संघ के सहयोग से बालाघाट की श्रीमती सवाना खान जो अस्थिबाधित दिव्यांग शिक्षिका हैं उन्हें 25000/– सहायता राशि दिलवायी गई।
5. जिले में मेधावी छात्रों हेतु प्रशासन द्वारा सुपर 30 योजना संचालित है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नही होने से लाभ से वंचित हो रहे थे। उक्त योजना में संस्था के प्रयास से एक दृष्टि बाधित को प्रवेश दिलाया गया।
6. विशेष विद्यालय एवं सेंटर का संचालन किया जा रहा है।
7. विशेष भर्ती अभियान पर विशेष प्रयास कर जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु प्रयास जारी है।

इसी तरह से जितनी भी शासन की योजनाएँ हैं उन्हें दिव्यांगों के पुर्नवास हेतु सुझाव दिये जाते रहे हैं जिन पर शासन द्वारा अमल भी किया गया है।

## 9. संघ के प्रयास एवं पहल

संघ द्वारा शासन की सभी योजनाओं पर पैनी नजर रखी जाती है कि जो योजनाएँ बनी हुई हैं वो दिव्यांगों के लिए कितनी हितकर हैं व जो निर्माणाधीन हैं उनको किस प्रकार से तैयार किया जाये कि अधिक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति उसका लाभ ले सकें साथ ही सभी योजनाओं को दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। और नई–नई योजनाओं को बनाने हेतु शासन को सुझाव भेजे जाते हैं।

## 10. सारांश

भारत में दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए जा रहे हैं इसलिए समाज के सभी व्यक्तियों को बदलाव के लिए उद्यत रहना चाहिए। अनेक नई योजनाएँ व कानून बन रहे हैं इन सभी को सकारात्मक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। यदि संघ को शासन,प्रशासन व जन सहयोग प्राप्त होता है तो दिव्यांगों के कल्याण में निःसंदेह वृद्धि होगी और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगें साथ ही ऊँचाइयों को छू सकेंगें।

दिव्यांग व्यक्तियों का संगठन

# आदर्श विकलांग सेवा संघ

मुख्यालय- आदर्श वार्ड वार्ड क्र. 40, वैढ़न जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

## विभिन्न गतिविधियां और उनके फोटो

## वर्ष 2020-21

कोविड-19 के दौरान दिव्यांग जनों को राहत पहुंचाने के लिए राशन सामग्री वितरण हेतु राशन रथ को रवाना किया गया

विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षा से जोड़े रखा साथ ही बच्चों का मनोरंजन भी करते रहे केयर गिवर द्वारा डोर टू डोर जाकर दिव्यांगजन हितग्राहियों को कोविड-19 व स्वच्छता रखने हेतु जागरूक किया गया

dishtv

कोविड-19 कॉल के दौरान दिव्यांगजन हितग्राहियों की फिजियोथेरेपी

राष्ट्रीय न्यास भारत सरकार के सहयोग से मानसिक दिव्यांगजन संस्थान सिकंदराबाद से प्राप्त मानसिक दिव्यांगजनों को किट का वितरण किया गया

दिव्यांग बच्चों को बेसिक किट का किया वितरण

कोविड-19 कॉल के दौरान दिव्यांगजनों को हो रही समस्याओं व सुविधाओं के संबंध में जिले के कलेक्टर Shri Rajeev Ranjan Meena IAS से चर्चा की गई

कृत्रिम अंग निर्माण हेतु संस्था का भ्रमण